संख्या-20/2020/524/71-2-20-पी-34/2012

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 फरवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में संस्थान में रिसर्च स्टूडेन्टस हेतु हास्टल (100 नग फ्लैट्स) के निर्माण संबंधी पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-83/526/2019, दिनांक 01-10-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान में रिसर्च स्टूडेन्टस हेतु हास्टल (100 नग फ्लैट्स) के निर्माण संबंधी पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-13/2020/192/71-2-20-पी-34/2012, दिनांक 05 फरवरी, 2020 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 2581.75 लाख +(जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। शासनादेश संख्या-796/71-2-2013-पी-34/2012, दिनांक 07 मार्च, 2013 द्वारा उक्त प्रायोजना हेतु अनुमोदित मूल लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से रू0 1308.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में एस0जी0पी0जी0आई0, के रिसर्च स्टूडेन्ट हास्टल (100 नग फ्लैट्स) के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0 299.66 लाख (रूपया दो करोड निन्यानबे लाख छांछठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
2) संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
3) लागत में परिवर्तन के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4) निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है एवं प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) नहीं हो रही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्ते/ प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

7) प्रश्नगत पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्तावित लिफट प्रोप्राइटरी श्रेणी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है। अतः निदेशक, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

8) निदेशक, संस्थान का यह दायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अंतिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है, तथा उक्त पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

9) पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का प्रयोग व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

11) निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय। **कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान का होगा।**

12) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना की ऑकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को ऑकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।

13) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

14) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगाई गई शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

16) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

17) प्रश्नगत प्रायोजना यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

18) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03- संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2020/524(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।